संख्या-03/2023/949/2277183/12-5002/2/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 12 जनवरी, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना हेतु पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी0ए0/874/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 30-11-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रू0 4790.62 लाख के सापेक्ष हो रही बचतों से प्रश्नगत योजना के मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान हेतु रू0 15.00 लाख एवं मानक मद 49-चिकित्सा व्यय हेतु रू0 25.00 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू0 40.00 लाख** के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों :

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।
5. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454 /दस-2022- 231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी(एम0-09 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाए)

अनुदान संख्या व नाम -11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

वित्तीय वर्ष 2022-2023

(धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 001 03 00 2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना					
01-वेतन	4790.62	88.81	88.81	40-00	4750-62
योग	4790.62		88.81	40-00	4750-62

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8-11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 001 03 00 2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना					
04-यात्रा व्यय	12.00	24.00	12.00	0-00	12-00
08-कार्यालय व्यय	20.00	31.81	11.81	0-00	20-00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00	75.00	25.00	0-00	50-00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.00	30.00	15.00	15-00	30-00
49-चिकित्सा व्यय	110.00	135.00	25.00	25-00	135-00
योग			88.81	40-00	247-00

(रु0 अट्ठासी नाम इक्यासी हजार मात्र)
रु० चालीस लाख मात्र

1-स्तम्भ-3 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ-वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब-विभागीय सम्प्रेक्षण दल द्वारा जनपदीय कार्यालयों का सम्प्रेक्षण किये जाने के लिए लेखा टोली के जाने हेतु यात्रा व्यय मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

स-कृषि निदेशालय के कोरियर डाक सेवा की बकाया कालातीत देयक हेतु शासनादेश संख्या-02का/12-5099/1160/2019, दिनांक 27.01.2021 द्वारा प्राप्त कालातीत देयक के पूर्व सम्परीक्षा की स्वीकृति के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, लखनऊ हेतु आवश्यकता है।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द-मुख्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों में मोटर गाड़ियों के पुराने होने एवं उनके अनुरक्षणएवं ईंधन आदि के व्यय हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

ध-कृषि निदेशालय/मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यकता है।

र-कृषि निदेशालय में सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से प्लम्बर, कारपेन्टर, विद्युतकार, लिफ्टचालक, जनरेटर चालक, पम्प आपरेटर व सफाई हेतु लगाये गये कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< > -2022-23, दिनांक- दिसंबर, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(फूल चन्द्र)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

संख्या : < >/< >, < > दिनांक- दिसंबर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से
(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।